भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2552
उत्तर देने की तारीख 19 दिसंबर, 2023
28 अग्रहायण, 1945 (शक)

एक विद्यालय- एक खेल

2552. श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक के सैनिक विद्यालय बीजापुर (विजयपुरा) जैसे विद्यालयों में विश्व स्तरीय अवसंरचना और कुछ बेहतरीन कोच मौजूद हैं, जिनमें क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को बढ़ावा देने की क्षमता मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय खेल क्षेत्र में विद्यालय के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए विशेष रूप से एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल में विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को तैयार करने की गुंजाइश के मद्देनजर ऐसे विद्यालयों के लिए एक विद्यालय - एक खेल की अवधारणा का सख्ती से पालन कर रहा है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों के गुमनाम खिलाड़ियों हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और नौकरियों में प्रवेश के दौरान अतिरिक्त अंक प्रणाली के संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान प्रणाली में खामियों के कारण राष्ट्रीय स्तर के खेलों में शामिल होने में विफल रहते हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख) : सैनिक स्कूल सोसायटी, रक्षा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की 'एक राज्य - एक खेल' स्कीम के अनुरूप 'एक विद्यालय- एक खेल' स्कीम का अनुपालन कर रहा है । इस दिशा में, देशभर के 33 सैनिक स्कूलों में से प्रत्येक को एक खेल आवंटित किया गया है । इसका विवरण अनुबंध में दिया गया है । इसके अलावा, क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए सैनिक स्कूल, बीजापुर में पर्याप्त खेल अवसंरचना और अच्छे कोच मौजूद हैं ।

(ग) चूंकि,खेल राज्य का विषय है इसलिए प्रत्येक राज्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एथलेटिक प्रदर्शन के महत्व के संबंध में अपनी नीतियां स्वयं बनाता है । तथापि, केंद्र सरकार के कार्यालयों में खेल कोटा रिक्तियों के संबंध में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 (दिनांक 18.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आगे समेकित) के उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/01/2013-स्थापना(डी) द्वारा जारी समेकित अनुदेशों के अनुसार की जाती है ।

****

अनुबंध

"एक विद्यालय-एक खेल" के संबंध में श्री एस. मुनिस्वामी द्वारा दिनांक 19.12.2023 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2552 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

सैनिक स्कूलों को आवंटित खेलों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	राज्य	एक स्कूल एक खेल पहल के तहत सैनिक स्कूल को आवंटित खेल
1.	अंबिकापुर	छत्तीसगढ	तीरंदाजी
2.	अमेठी	उत्तर प्रदेश	हॉकी
3.	अमरावतीनगर	तमिलनाडु	टेबल टेनिस
4.	बालाचडी	गुजरात	एथलेटिक्स
5.	बीजापुर	कर्नाटक	तैराकी
6.	भुवनेश्वर	ओडिशा	हॉकी
7.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	शूटिंग
8.	चिनगछिप	मिजोरम	मुक्केबाज़ी
9.	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	तीरंदाजी
10.	पूर्वी सियांग	अरुणाचल प्रदेश	भारोत्तोलन
11.	घोड़ाखाल	उत्तराखंड	एथलेटिक्स
12.	गोलपाड़ा	असम	मुक्केबाज़ी
13.	गोपालगंज	बिहार	एथलेटिक्स
14.	इंफाल	मणिपुर	भारोत्तोलन
15.	झांसी	उत्तर प्रदेश	हॉकी
16.	झुंझुनूं	राजस्थान	तीरंदाजी
17.	कलिकिरी	आंध्र प्रदेश	भारोत्तोलन
18.	कपूरथला	पंजाब	हॉकी
19.	कज़हाकूट्टम	केरल	एथलेटिक्स
20.	कोडागू	कर्नाटक	तैराकी
21.	कोरुकोंडा	आंध्र प्रदेश	भारोत्तोलन
22.	कुंजपुरा	हरियाणा	मुक्केबाज़ी
23.	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	हॉकी
24.	नगरोटा	जम्मू एवं कश्मीर	फेंसिंग
25.	नालन्दा	बिहार	एथलेटिक्स
26.	पुंगलवा	नागालैंड	कुश्ती
27.	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	टेबल टेनिस
28.	रीवा	मध्य प्रदेश	शूटिंग
29.	रेवाड़ी	हरियाणा	मुक्केबाज़ी
30.	संबलपुर	ओडिशा	हॉकी
31.	सतारा	महाराष्ट्र	शूटिंग
32.	सुजानपुर टीरा	हिमाचल प्रदेश	मुक्केबाज़ी
33.	तिलैया	झारखंड	तीरंदाजी

*****